

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 64/2011

1. रिछपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति मैनी निवासी अयोधर बाल निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।

बनाम

--वादी--

1. रश्मेल सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति मैनी निवासी 11 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. हजारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति मैनी निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।
4. श्रीमति हरदेव कौर पत्नि जगदीश सिंह जाति मैनी निवासी 4 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए

--निर्णय--

दिनांक : 28/2/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अन्यान्य प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2019 की पालना में तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पत्रांक 388 दिनांक 25.02.2019 से विभाजन प्रस्ताव मय फर्ट मौक़ा तथा नक्शा प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई एवं निवेदन किया कि प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी कर दी जाये तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। दोनों पक्षों के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार चक 4 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 69 के मु 0 नो 13 किला नो 2/0.227 है, किला नो 9/2 का 0.063 है, वारानी, मु 0 नो 50 सालम अर्थात 6.325 है, नहरी, मु 0 नो 55/2/3 गैरमुमकिन खाल 0.025 है, कुल 6.640 है, रकबा रश्मेल सिंह 2.171 है, रिछपाल सिंह 2.171 है, हजारा सिंह 2.298 है, पिसरान जगदीश सिंह जाति मैनीसिख सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

## 1. रिछपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह का हिस्सा:-

चक 4 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 69 के मु 0 नो 13 किला नो 2/1 में 0.076 है, वारानी, किला नो 9/4 में 0.021 है, वारानी एवं मु 0 नो 50 के किला नो 16/2 में 0.154 है, किला नो 17/2 में 0.155 है, किला नो 18/2 में 0.154 है, किला नो 19/2 में 0.155 है, किला नो 20/2 में 0.154 है, 21 से 25 में 1.265 है तथा मु 0 नो 55/2/3/1 में 0.008 है, गैरमुमकिन खाला कुल 0.097 है, वारानी, 2.037 है, नहरी, 0.008 है, गैरमुमकिन खाला।

## 2. रश्मेल सिंह पुत्र जगदीश का हिस्सा:-

चक 4 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 69 के मु 0 नो 13 किला नो 2/2 में 0.076 है, वारानी, किला नो 9/3 में 0.021 है, वारानी एवं मु 0 नो 50 के किला नो 16/1 में 0.087 है, किला नो 17/1 में 0.098 है, किला नो 18/1 में 0.099 है, किला नो 19/1 में 0.098 है, किला नो 20/1 में 0.099 है, 11 से 14 में 1.012 है, किला नो 15/1 में 0.228 है, किला नो 6/2 में 0.060 है, किला नो 7/2 में 0.064 है, किला नो 8/2 में 0.064 है, किला नो 9/2 में 0.064 है, किला नो 10/2 में 0.064 है, कुल 0.097 है, वारानी, 2.037 है, नहरी एवं मु 0 नो 55/2/3/2 में 0.008 है, गैरमुमकिन खाला।

## 3. हजारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह का हिस्सा:-

चक 4 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 69 के मु 0 नो 13 किला नो 2/3 में 0.076 है, वारानी, किला नो 9/2 में 0.021 है, वारानी एवं मु 0 नो 50 के किला नो 1 ता 4 में 1.012 है, किला नो 5/1 में 0.228 है, किला नो 6/1 में 0.168 है, किला नो 7/1 में 0.189 है, किला नो 8/1 में 0.189 है, किला नो 9/1 में 0.189 है, किला नो 10/1 में 0.189 है, कुल 0.097 है, वारानी, 2.164 है, नहरी एवं मु 0 नो 55/2/3/3 में 0.009 है, गैरमुमकिन खाला।

## 4. रक्षपाल, रश्मेल सिंह, हजारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह का हिस्सा:-

चक 4 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 69 के मु 0 नो 50 के किला नो 5/2 में 0.025 है, किला नो 6/3 में 0.025 है, किला नो 15/2 में 0.025 है, किला नो 16/3 में 0.012 है, कुल 0.087 है, नहरी।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु भिजवाई जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी की गई। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो। शेष खातों के अंकन बंदस्तूर रहेगा एवं बैंको का रहन जमाबंदी अनुसार बंदस्तूर रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर, जयानगर